न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2018-00139Ju2018-012 Sitaram etc Vs Shankerram etc

1. सीताराम पुत्र मंगाराम
2. चुनाराम पुत्र मंगाराम
3. केवलराम पुत्र पेमाराम
4. रेखा पत्नी रामप्रकाश
   सभी जाति माली, निवासी पीपाडशहर
   तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. शंकरराम पुत्र गिरधारी राम जाति जाट
2. बख्साराम पुत्र बचनाराम जाति जाट
   निवासीगण जालखा, तहसील पीपाडशहर
   जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, पीपपाडशहर
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी, पीपाडशहर दिनाक 10 जनवरी 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 528/2015 शंकरराम बनाम सीताराम

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 3
रेस्पो. संख्या दो बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 28 जुलाई, 2021

अपीलाण्ट्स के उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 528/2015 शंकरराम बनाम सीताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जनवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अधीनस्थ अदालत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 29 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 509/1 रकबा 16 बीघा चाही प्रथम वाके मौजा जालखा तहसील पीपाडशहर तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 503, 504, 504/1 एवं 510 में से ए-बी-सी-डी-ई-एफ-जी-एच-आई-जे-के-एल भाग से मार्ग निकलना जाहिर करते हुए उसे राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाकर तदनुसार तहसीलदार को म्युटेशन स्वीकृत करने, राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता लाल स्याही से तरमीम करने, अप्रार्थीगण्या संख्या 1 वसे 5 को उक्त रास्ते बाबत किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने बाबत तथा उक्त मार्ग में धोरा एवं कंटीली बबूल की झाड़ियों के कायम किया गया अवरोध पुलिस की सहायता के हटाये जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स संख्या एक से चार द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब पेश कर विरोध किया गया, जबकि अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से इकबाली जबाब पेश किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 जनवरी 2018 स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पेश किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता दिया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है क्योंकि धारा 251क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार बिन्दु को भी ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक ने अवरोधित रास्ते को पुलिस इमदाद से खुलवाने की प्रार्थना की है, जो कि सुखाचार से संबंधित होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए में चलायमान रास्ता खुलवाने का कोई प्रावधान नहीं है, उसके लिए क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है अथवा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ग्राम पंचायत/तहसीलदार सक्षम है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13 दिसम्बर 1017 को अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत जबाब में जिन वैकल्पिक रास्तों का उल्लेख किया है, उनके संबंध में विधिवत जॉच किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता दिया गया है, वह प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा याचित रास्ते से हट कर है। कमिश्नर की रिपोर्ट भी प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी के तहत तलब की गयी है, जबकि आदेश 39 नियम 7 सीपीसी के प्रावधान आलौच्य प्रकरण में लागू ही नहीं होते है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सर्वथा इकतरफा आदेश होने से अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित [illegible] किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या [illegible] ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया और कथन किया कि मौका रिपोर्ट के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी-अपीलाण्ट्स की ओर से आपत्तियों से संबंधित प्रस्तुत प्रार्थनापत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 14 सितम्बर 2016 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या 7605/2016/जोधपुर सीताराम बनाम शंकरराम इत्यादि माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2017 को खारिज कर दी गयी। अतः अब आलौच्य अपील स्तर पर इस संबंध में किसी प्रकार का आक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा कमिश्नर रिपोर्ट में भी कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की पुष्टि करते हुए कथन किया कि खसरा संख्या 502 गैरमुमकिन पाळ है तथा पाळ की भूमि में से कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। मौका एवं रेकर्ड के अवलोकन के आधार पर सर्वाधिक न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 509/1 से खसरा संख्या 370 गैरमुमकिन रास्ता (ग्रेवल सड़क) ग्राम जालखा से ग्राम चिरढाणी जाने वाला रास्ता तक का होना उक्त रिपोर्ट में बताया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार सर्वाधिक न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स एवं अप्रार्थी-रेस्पो. संख्या दो की खातेदारी के खेत की माठों पर होकर रास्ते का उपयोग पीढियों से करना जाहिर किया और कथन किया कि वर्तमान में उक्त रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा बंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर दिया गया है, जिससे प्रार्थी-रेस्पो. को काश्त कार्य हेतु **अपने खातेदारी के खेत तक आवागमन में गम्भीर असुविधा होती है तथा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। इस कारण उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज किये जाने** तथा आवागमन हेतु उक्त रास्ता अवरोधरहित कर उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। अपने प्रार्थनापत्र के शीर्षक में प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा "प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा **251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956**" अंकित किया गया है अर्थात अधिनियम का सन् 1955 की बजाय 1956 अंकित कर दिया गया है, जो एक सद्‌भावी टंकण की त्रुटि प्रतीत होती है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी प्रकरण में यदि शीर्षक अंकित करने में कोई त्रुटि हो जाए तो नजरअंदाज करते हुए उस प्रकरण की विषय सामग्री को देखा जाना चाहिये।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जबाब-प्रार्थनपत्र में अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स ने खसरा संख्या 520 गैरमुमकिन रास्ता से खसरा संख्या 512, 517 व 518 की माठ पर होकर रास्ता चलायमान होना बताया और एक अन्य रास्ता ग्राम चिरढाणी व जालखा की सरहद पर रास्ता खसरा संख,या 508 के आधे हिस्से तक चल कर आगे खसरा संख्या 509 से जुडना बताते हुए खसरा संख्या 509 के पश्चिम में ही खसरा संख्या 510 होना एवं उक्त दोनों खसरान के खातेदार परस्पर रिश्तेदार होना जाहिर किया है। अपील स्तर पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आक्षेप लिया कि इन वैकल्पिक रास्तों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 21 जनवरी 2016 पत्र कमांक भू.अ./2016/541 दिनांक 29

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मार्च 2016 के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी गयी। उक्त रिपोर्ट के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स द्वारा प्रार्थनापत्र कर 20 जुलाई 2016 को प्रस्तुत कर पुनः मौका रिपौर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया गया, जो प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2016 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या 7605/2016/जोधपुर सीताराम बनाम शंकरराम इत्यादि माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2017 को खारिज कर दी गयी। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत जबाब प्रार्थनापत्र के संदर्भ में अथवा अन्य किसी कारण से **पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की कतई आवश्यकता नहीं थी और न ही अपील स्तर पर इस संबंध में किसी प्रकार का आक्षेप किये जाने का कोई औचित्य** है। कमिश्नर रिपोर्ट में भी मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की पुष्टि करते हुए अंकित किया गया कि खसरा संख्या 502 गैरमुमकिन पाळ है तथा पाळ की भूमि में से कानूनन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। मौका एवं रेकर्ड के अवलोकन के आधार पर सर्वाधिक न्यूनतम दूरी का रास्ता खसरा संख्या 509/1 से खसरा संख्या 370 गैरमुमकिन रास्ता (ग्रेवल सडक) ग्राम जालखा से ग्राम चिरढाणी जाने वाला रास्ता तक का होना उक्त रिपोर्ट में बताया गया है। अपीलार्थी रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा P-35 क्रमांक 3601 दिनांक 07.01.2016 **(परिशिष्ठ 'क')** में दर्शाए गए रास्ते के विकल्पों A से B तथा C से D पर विचार किया जाना न्यायोचित है। इसके लिए प्रस्तावित विकल्पों वाली दूरियों का भू-प्रबंध-विभाग के मापक ड्राफ्ट्समैन श्री किशनाराम से दिनांक 23.07.2021 को माप कराया गया। मुताबिक जांच एवं माप विकल्प A से B की दूरी [illegible]0 **गट्ठे** है। C से D की दूरी का विकल्प प्राथी के खेत खसरा नं. 509/1 की सीमा तक नही होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अद्यतन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम के अनुसार यह विकल्प D से E बिंदु तक बढाये जाने पर मान्य है, इसलिए विकल्प C से D से E की दूरी 249 **गट्ठे** है। अपीलाधीन आदेश से प्रदत रास्ते की दूरी की भी जांच की गई, जिसकी कुल लंबाई 193 **गट्ठे** है। **परिशिष्ठ 'क'** पर बाद जांच सभी दूरियां नापी जाकर पृथक-पृथक अंकित की गई है। इन तीनों में सें सबसे कम दूरी वाला रास्ता 193 **गट्ठे** अपीलाधीन आदेश वाला ही पाया गया है। अपीलाधीन आदेश में प्रदत रास्ते की नाप सहवन से गलत की हुई है, जिसे सुधारा जाना भी आवश्यक है। खसरा नं. 503 में 87 **गट्ठे** तथा खसरा नं. (504+504/1) में 103 **गट्ठे** दूरी है। अपीलांट पक्ष **परिशिष्ठ 'क'** में दर्शित दूरी के अनुसार रास्ते के रकबे की प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तहसीलदार अंतर राशि की गणना करके रेस्पोडेंट को राशि जमा कराने की सूचना देकर बाद अंतर राशि प्राप्त करके रास्ता का अमल दरामद सुनिश्चित कर मौके पर आवागमन सुचारू करे।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में उपरोक्त गणनानुसार **रास्ते के रकबे एवं प्रतिकर राशि में आनुपातिक संशोधन किया जाता है।** परिशिष्ठ 'क' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:48:03 IST
Reason: SelfAttested